



प्रेस नोट

जनपद सीतापुर

## 08 अपराधियों के विरुद्ध गैंगेस्टर एक्ट की कार्यवाही

दिनांक:-18.5.2021

पुलिस अधीक्षक सीतापुर श्री आर.पी. सिंह द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम व नियंत्रण हेतु अपराधियों के विरुद्ध कठोरतम कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था।

पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा दिये गये निर्देश के क्रम में थाना रेउसा पुलिस द्वारा अवैध शराब निर्माण एवम् विक्रय/परिवहन के अपराध में लिप्त 08 अभियुक्तगण 1.नरेंद्र वर्मा नि0 नरेंद्रपुर थाना सदरपुर 2.शमी अहमद नि0 नूरपुर थाना महमूदाबाद 3.अवधेश वर्मा नि0 देवियापुर थाना सदरपुर 4.रिंकू पासी नि0 देवियापुर थाना सदरपुर 5.पवन नि0 गोधनी सरैया थाना रेउसा 6.लालू नि0 कोटरा थाना बिसवां 7.सुफील नि0 बसुधहा थाना सदरपुर 8.सुनील नि0 अमावा चौराहा, मिलएरिया जनपद रायबरेली के विरुद्ध गैंगेस्टर एक्ट की कार्यवाही की गयी है। अभियुक्तगण शांति शराब तस्कर हैं, जिनके विरुद्ध कई अभियोग पंजीकृत है। अभियुक्तगण के विरुद्ध गैंग चार्ट अनुमोदित कराकर थाना रेउसा पर मु0अ0सं0 96/21 धारा 2/3 उ0प्र0 गैंगेस्टर अधिनियम पंजीकृत किया गया है। विवरण निम्न है-

पंजीकृत अभियोग- मु0अ0सं0 192/21/21 धारा 2/3 उ0प्र0 गैंगेस्टर अधिनियम थाना रेउसा सीतापुर

### अभियुक्तगण का नाम/पता-

1. नरेंद्र वर्मा पुत्र राम अकबाल वर्मा नि0 नरेंद्रपुर थाना सदरपुर जनपद सीतापुर
2. शमी अहमद पुत्र अली हसन नि0 नूरपुर थाना महमूदाबाद जनपद सीतापुर
3. अवधेश वर्मा पुत्र लोटन वर्मा नि0 देवियापुर थाना सदरपुर जनपद सीतापुर
4. रिंकू पासी पुत्र प्रेमचंद पासी नि0 देवियापुर थाना सदरपुर जनपद सीतापुर
5. पवन पुत्र परागनरायण नि0 गोधनी सरैया थाना रेउसा जनपद सीतापुर
6. लालू उर्फ शिवम पुत्र रामनरेश नि0 कोटरा थाना बिसवां जनपद सीतापुर
7. सुफील पुत्र जहीर नि0 बसुधहा थाना सदरपुर जनपद सीतापुर
8. सुनील गोस्वामी पुत्र रामनरेश नि0 अमावा चौराहा, मिलएरिया जनपद रायबरेली

## आपराधिक इतिहास

### अभियुक्त अवधेश वर्मा उपरोक्त-

1. मु0अ0सं0 44/21 धारा 420/467/468/471 भादवि व 60 आबकारी अधिनियम थाना रेउसा सीतापुर।
2. मु0अ0सं0 292/20 धारा 272/273 भादवि व 60/63 आबकारी अधिनियम थाना कमलापुर सीतापुर।

### अभियुक्त लालू उर्फ शिवम उपरोक्त-

1. मु0अ0सं0 44/21 धारा 420/467/468/471 भादवि व 60 आबकारी अधिनियम थाना रेउसा सीतापुर।
2. मु0अ0सं0 292/20 धारा 272/273 भादवि व 60/63 आबकारी अधिनियम थाना कमलापुर सीतापुर।

### अभियुक्त सुनील गोस्वामी उपरोक्त-

1. मु0अ0सं0 44/21 धारा 420/467/468/471 भादवि व 60 आबकारी अधिनियम थाना रेउसा सीतापुर।
2. मु0अ0सं0 592/19 धारा 419/420/467/468/471 भादवि व 60(1)72 आबकारी अधिनियम थाना बछरावां जनपद रायबरेली।

### अभियुक्त नरेंद्र वर्मा, शमी अहमद, रिकू पासी, पवन, सुफील उपरोक्त-

1. मु0अ0सं0 44/21 धारा 420/467/468/471 भादवि व 60 आबकारी अधिनियम थाना रेउसा सीतापुर।